न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 172/2018

1. मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 8, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली—110065 एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रेस्टीज टॉवर, ई—1, थर्ड फ्लोर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर जरिये मुख्त्यारआम अमित भारद्वाज।

प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र श्री मूलचंद निवासी 436, कहार मोहल्ला, गंगा माता मंदिर के पास महुआ, तहसील महुआ जिला दौसा राजस्थान—321608
2. श्रीमती शीला पत्नी शंकरलाल निवासी 164, कहार मोहल्ला, गंगा माता मंदिर के पास महुआ तहसील महुआ जिला दौसा।
3. गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री शंकरलाल निवासी कहार मोहल्ला, गंगा माता मंदिर के पास महुआ तहसील महुआ जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री मुदित उपाध्याय,, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांकः 10.7.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री शंकरलाल पुत्र श्री मूलचंद निवासी 436, कहार मोहल्ला, गंगा माता मंदिर के पास महुआ, तहसील महुआ जिला दौसा व अन्य को 06,95,000/—(रूपये छः लाख पिच्चानवे हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक/कम्पनी का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय भूमि का पट्टा मिसल नम्बर 138 दिनांक 23.9.95 क्षेत्रफल 131 वर्गगज जिसके उत्तर में गली, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में रास्ता व पश्चिम में बाबूलाल का प्लाट स्थित है, ग्राम पंचायत महवा तहसील महवा जिला दौसा जो अप्रार्थी शंकरलाल कहार पुत्र मूलचन्द कहार के नाम से है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 10 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official